

भारत का राजपत्र दिनांक 10.12.2003 अंक में प्रकाशित
स. कर नि. 23 (अ) वन संरक्षण अधिनियम 2003 के अंतर्गत

परिशिष्ट
(देखिये नियम 6)

फार्म (क)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा - 2 के अंतर्गत पूर्व
अनुमति लेने का फार्म

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 2013/079

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

01.	परियोजना विवरण	
i	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम संक्षिप्त विवरण ।	दक्षिण कोण्डागांव वन मण्डल में कोण्डागांव परिक्षेत्र के अंतर्गत कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण (लम्बाई 8.89 कि०मी०) कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन बाबत ।
ii	1:50000 स्केल मानचित्र पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र ।	मानचित्र संलग्न है। पृष्ठ क्र. 11 से 17
iii	परियोजना की लागत ।	रु. 7008.51 लाख ।
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।	राष्ट्रीय सड़क मार्ग 43 (नया रा०मा०नं०-30) चौड़ीकरण पश्चात कोण्डागांव शहर में यातायात का दबाव अत्यधिक होने के कारण छ०ग० शासन द्वारा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। ताकि शहर से यातायात का दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम किया जा सकें। प्रस्तावित एकरेखण में 9.304 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। जो कि अन्य वैकल्पिक एकरेखण से कम
v	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	निरर्थक
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	उक्त मार्ग के निर्माण कार्य के प्रारम्भ एवं कार्य के अंत तक स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी ।
02.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	1. PF 795- 2.522 Ha
		2. PF 794- 2.548 Ha
		3. PF 777 - 0.235 Ha

91

96

		:- 4. RF 793- 3.999 Ha
		:- 5. Private Land - 17.379 Ha
03.	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण यदि कोई है तो ?	
i	परिवारों की संख्या	:- निरंक ।
ii	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	:- निरंक ।
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	:- निरंक ।
04.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यकता है ? (हाँ/नहीं)	भारत का राजप्रत्र असाधारण भाग - II खण्ड-3. उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली बृहस्पतिवार सितम्बर 14.2006/भाद्र 23.1928 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
05.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	प्राक्कलन पृष्ठ क्रमांक 48 से 78 में संलग्न है।
06.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों दस्तावेजों का ब्यौरा ।	:- अपेक्षित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज संलग्न है।

तिथि :- 25/10/2017

स्थान:- कोण्डागांव

राजेन्द्र कुमार चौधरी
कार्यपालन अभियंता
लो0नि0वि0 (भ/स) कोण्डागांव
संभाग कोण्डागांव (छ0ग0)